रेल दावा अधिकरण,
13/15, माल रोड,
दिल्ली110054

सं. आरसीटी/दिल्ली/आउटसोर्सिंग/चपरासी/2020 दिनांक 09.03.2020

सूचना

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली पीठ में रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) द्वारा विनिर्धारित निबंधन और शर्तों के आधार पर अस्थाई तौर पर चपरासी के पद के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) के लिए योग्य उम्मीदवारों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आमंत्रित किया जाता है:-

क्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता	आयु सीमा
1.	चपरासी	01	10वीं पास	18 से 45 वर्ष

टिप्पणी:-

1. उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के प्रमाण हेतु अपने साथ बायोडाटा की दो प्रतियां, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और शैक्षिणक योग्यता संबंधी दस्तावेज लाने होंगे।

2. प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) के लिए स्थान दिनांक और समय:-

   दिनांक 18.03.2020 को 11.00 बजे रेल दावा अधिकरण, 13/15, माल रोड, दिल्ली-110054 में.

   इच्छुक उम्मीदवार निबंधन एवं शर्तों हेतु रेल दावा अधिकरण की वैबसाइट: www.rct.indianrail.gov.in देखें।

अपर रजिस्ट्रार

रेल दावा अधिकरण में ठेके/आउटसोर्सिंग के आधार पर चपरासी/सफाईवाला के पद के लिए निबंधन और शर्तें

1. रेल दावा अधिकरण की पीठों में ठेके/आउट सोर्सिंग के आधार पर चपरासी/सफाईवाला की भर्ती हेतु प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) के लिए प्रस्ताव रखने से पहले सक्षम अधिकारी अर्थात माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

2. रेल दावा अधिकरण की संबंधित पीठें चपरासी/सफाईवालों के पदों के लिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार (वॉक-इन-इंटरव्यू) हेतु उम्मीदवारों को बुलाने के लिए रेल दावा अधिकरण की पीठों, जहां रिक्तियां उपलब्ध हैं, का स्थान, निर्धारित दिन और समय संबंधी विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों/वैबसाइट में विज्ञापन प्रकाशित करेंगी और योग्य उम्मीदवार के नाम की सिफारिश माननीय अध्यक्ष, रेल दावा अधिकरण,दिल्ली के अनुमोदन हेतु करेंगी।

3. चपरासी के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना आवश्यक है और 10वीं से कम पढ़े व्यक्तियों (अकुशल) को सफाईवाले के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

4. ठेके/आउटसोर्सिंग पर लिए गए चपरासी/सफाई वाले के लिए पारिश्रमिक उस राज्य जहां तैनाती की जानी है, में लागू न्यूनतम मजूदरी द्वारा शासित होगा।

5. रेलवे के कार्य घंटों का समय सभी कार्य-दिवसों पर 9.30 बजे से 18.00 बजे तक 8 घंटे का होगा जिसमें 13.30 बजे से 14.00 बजे तक आधे घंटे का भोजन अवकाश दिया जाएगा।

6. चूंकि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संस्थान है अतः यह उम्मीदवारों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गोपनीय सूचना के सार्वजनिक (लीक) करने पर उस व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें मुकदमा भी शामिल है।

7. यदि नियुक्त किया गया व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि में से प्रो-डॉटा कटौती की जाएगी। कटौती की जाने वाली रकम की गणना एक मुश्त राशि के 1/30 भाग के आधार पर प्रति गैर-हाजिरी दिन के हिसाब से की जाएगी।

8. किसी भी पक्षकार द्वारा एक महीने पहले पूर्व सूचना देते हुए इस संविदागत तैनाती को समाप्त किया जा सकता है।

9. उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था ऐसी नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तों की स्वीकृति की तारीख अथवा क्षेत्रीय रेलों द्वारा भरे गए पदों जो भी पहले हो, से अधिकतम एक वर्ष से अधिक नहीं होगी। दो क्रमिक ठेकों (यदि कोई हो) के बीच यथा-योग्य समय अंतराल दिया जाना अनिवार्य है।

10. इस योजना के तहत की गई व्यक्तियों की नियुक्ति को किसी भी प्रकार से रेल दावा अधिकरण या रेलों पर नियुक्ति का प्रस्ताव नहीं माना जाएगा।

11. नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी भी उपकरण या संपत्ति को जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनकी मासिक मजदूरी से इसकी वसूली की जाएगी।

12. ठेके अथवा आउटसोर्सिंग आधार पर ग्रुप-डी कर्मचारियों की तैनाती के लिए उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

13. चिकित्सीय आधार पर योग्य प्रमाणित उम्मीदवारों को ही नियुक्त किया जाएगा जिसके लिए उन्हें न्यूनतम एमबीबीएस डिग्री धारक सामान्य फिजिशियन द्वारा जारी चिकित्सा आरोग्य प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली-110054 में ठेके के आधार पर चपरासी के पद हेतु आवेदन-पत्र

		फोटो
1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	जन्म-तिथि	
3.	आयु	
4.	पिता/पति का नाम	
5.	पत्राचार का पता	
6.	स्थायी पता	
7.	टेलीफोन/मोबाईल नं.	
8.	योग्यता	
9.	आधार कार्ड नं.	
10.	कार्य का अनुभव, यदि कोई हो	

उम्मीदवार के हस्ताक्षर